25/6/19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 LR Act पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 LR Act स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल फाइल किया जावे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कमरे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 124 / 2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. उमेशचन्द्र पुरोहित पिता उरजन लाल पुरोहित
2. रमेशचन्द्र पुरोहित पिता उरजन लाल पुरोहित
3. महेशचन्द्र पुरोहित पिता उरजन लाल पुरोहित
4. सज्जन बाई पुरोहित पिता उरजन लाल पुरोहित
5. कृष्णाबाई पुरोहित पिता उरजन लाल पुरोहित
6. पुष्पाबाई पुरोहित पिता उरजन लाल पुरोहित
7. मु0 भंवरी देवी पत्नि उरजन लाल पुरोहित

सर्व निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. अमित सुर्या पिता बंशीलाल सुर्या
2. मु0 मुन्नी देवी पत्नि बंशीलाल सुर्या
3. जगदीशचन्द्र पिता भैरू शंकर पुरोहित
4. चन्द्रप्रकाश पिता भंवरलाल पुरोहित
5. मोहम्मद शरीफ पिता ईस्माइल छीपा
6. दशरथ सिंह पिता गोवर्धनसिंह चुण्डावत

सर्व निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

7. तहसीलदार सहाड़ा।

——विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः– 25 / 06 / 2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा की सरहद मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4370 रकबा 0.16 हे0, 4371 रकबा 0.22 हे0, 4376 रकबा 0.72 हे0, 4384 रकबा 0.42 हे0, 4411 रकबा 0.04 हे0 भूमि कुल किता 05 कुल रकबा 1.56 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 72 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा की सरहद मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं

क्रमश....

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा